

त्रिभव

संग्रह शिक्षा निदेशक
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

सेवा में

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र 2, समृद्धाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक एस0टी0/एन0ओ0सी0/1643 - 46 /2019-2020 दिनांक 15/07/19
विषय : एम0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, किसरीली रोड, कासगंज को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या-2762/15-13-91-4(46)/91 दिनांक 30 नवम्बर,
1991 एवं राजाज्ञा संख्या-1916(1)/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 सपष्टित
शिक्षा निदेशक (मा0) के पत्रांक-सा0(1)/शिविर/एन0ओ0सी0/7153/2009-2010 दिनांक 01
अक्टूबर 2009 के आलोक में एम0एस0इण्टरनेशनल स्कूल, किसरीली रोड, कासगंज को
सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य
सरकार का निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसृथित जाति/जन जाति के मेधावी बच्चों
के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/वेसिक शिक्षा
परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक
शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में
विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल
बोर्ड ऑफ सैकेण्ट्री एज्यूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट
एज्यामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने
की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के
कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं
दिये जायेंगे।
- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर
माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये
जायेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका
पालन करेगी।
- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को
अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
- उक्त शर्तों में राज्य सरकार पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्ररिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं
किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

G

संयुक्त शिक्षा निदेशक
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

(जितेन्द्र कुमार मलिक)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

पृ०सं० एस०टी० / एन०ओ०सी० / 2019-2020 तद् दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1—मण्डलायुक्त महोदय, अलीगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2—सचिव, (मा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ।
3—शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4—जिलाधिकारी, कासगंज।
5—जिला विद्यालय निरीक्षक, कासगंज।
6—निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तार प्रदेश, लखनऊ।
7—प्रबन्धक, एम०एस० इण्टरनेशनल स्कूल, किसरौली रोड, कासगंज।
8—गार्ड फाइल।

G
(जितेन्द्र कुमार मलिक)
सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
अलीगढ़।